172

संख्या– 883 / III(2)/15–09(प्रा0आ0)/2004टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 17 फरवरी, 2016

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–थराली में अंगतोली–मजेठा–कोठा से सिलोड़ी हाईस्कूल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–थराली में अंगतोली–मजेठा–कोठा से सिलोड़ी हाईस्कूल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संः– 127/लो0नि0–1/2004–09(प्रा0आ0)/2004टी0सी0 दिः 16–2–2004 **(क्रमांक–216)** के द्वारा लम्बाई 6.00 किमी0 तथा लागत ₹ 86.40 लाख की प्रदान की गई है। इस मोटर मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने तथा चैनेज 1.700 पर ग्राम चिड़िगां एवं कोठा में आपसी विवाद होने के कारण निर्माण कार्य बाधित रहा तथा वर्ष 2013 में विवाद सुलझने एवं इस मध्य श्रमिक एवं सामग्री की दरों अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत विषयगत कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा विभागीय तकनीकी परीक्षणोंपरान्त वर्तमान में शासन को उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसकी औचित्यपूर्ण पाई गई सम्पूर्ण पुनरीक्षित लागत **₹ 308.06 लाख** [₹ 86.40 लाख पूर्व स्वीकुत लागत + ₹ 221.66 अतिरिक्त लागत] की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की, माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संः– 127/लो0नि0–1/2004–09(प्रा0आ0)/2004टी0सी0 दिः 16–2–2004 **(क्रमांक–216)** के द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 86.40 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई पुनरीक्षित लागत **₹ 308.06 लाख** से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ **221.66 लाख** में अवशेष कार्यो को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नही की जायेगी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16–02–2004 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

3– पुनरीक्षित विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।